न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः श्री अभिषेक सुराणा (IAS प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः 20/2013

1. मूलचन्द पुत्र
2. मोहनराम पुत्र
3. पार्वती पुत्री

} श्री परताराम जाति नायक निवासी केसरदेसर जाटान बीकानेर।

वादीगण

—:बनामः—

1. मंदिर श्री रघुनाथ जी जरिये पुजारी ग्राम केसरदेसर बोहरान तहसील व जिला बीकानेर। जरिये पुजारी जुगल किशोर एवं हरिराम द्वारा दिनांक 16.07.2012।
2. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज।

प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव
136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्री उमेश ऋषि अभिभाषक, वादीगण के लिए।
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।
3. पेरोकारराज, राज्य के लिए।

निर्णय

दिनांक 8-11-19

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के ओर से विद्वान अभिभाषक श्री उमेश ऋषि ने दिनांक 08.04.2013 को वाद—पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम केसरदेसर गंगागुरान के खेत पुराना खसरा नंबर122 तादादी 23.14 बीघा के नये खसरा नंबर 177 तादादी 3.24 हैक्टर, खसरा नंबर 179 तादादी 2.50 हैक्टर कुल किता 2 कुल तादादी 5.74 हैक्टर भूमि वादीगण के पूर्वज भगवाना वल्द बक्शा व भाई परता वल्द बक्शा द्वारा संवत् 2016 से काश्त चली आ रही है और उक्त भूमि उनकी कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं हुई। अतः भूमि भगवाना को आवंटित की गयी थी। आवंटन के पूर्व भूमि रकबा राज थी। उक्त भूमि इन्तकाल संख्या 162 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी और उसका आधार उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश संख्या 811 दिनांक 29.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

09.1980 को माना है। उक्त आदेश की नकल वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकी। ना ही ओदश अस्तित्व में है। इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी काश्तकार की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। उक्त आदेश को प्रभाव शून्य घोषित करते हुए इन्तकाल संख्या 162 को शून्य घोषित किया जावे। यह भूमि बतौर खातेदार भगवाना के नाम से है और भगवाना का भाई परता है, परता की बेवा जसोदा है और परता के वारिस वादीगण है। भगवाना की खातेदारी भूमि संवत् 2016 से आज तक बराबर चली आ रही है। विवादित भूमि कभी मंदिर की भमि नहीं थी। जब से राजस्थान काश्ताकरी अधिनियमबना तब से रिकार्ड मे यह भूमि रकबाराज थी। भगवाना को बतौर काश्तकार दी गयी। अतः वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। मंदिर रघुनाथ जी के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की जावे।

2– प्रतिवादीगण को समन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकीयात तलब कि गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने अभिभाषक–पत्र दाखिल किया। दिनांक 28.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस प्रकार प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि संवत् 2012 से पूर्व से ही मंदिर के नाम रही है। वादीगण को उक्त भूमि को दर्ज कराने की कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार के शून्य आदेश है। आदेश 29.09.1980 भू–अभिलेख अधिकारी का आदेश है। जिसे दावा प्रस्तुत कर खारिज नहीं किया जा सकता। मुतनाजा भूमि से जसोदा माता वादीगण का कोई संबंध नहीं हैं। दिनांक 29.09.1980 का उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का आदेश विधि सम्मत है। भगवाना को विवादित भूमि कभी आवंटित नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 1 मंदिर रघुनाथ जी की पूजा अर्चना पुजारी जुगल किशोर एंव हरिराम अपने पूर्वज श्री तेजकरण एंव जगन्नाथ के समय से आज तक करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण बेदखली की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

3– प्रकरण में दिनांक 07.02.2012 को तनकीयात कायम की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गयी। वादीगण के गवाहान मूलचन्द, मांगीलाल एवं अन्नाराम की जिरह प्रतिपक्ष अधिवक्ता से कराई गयी। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 07.01.1980, जमाबंदी 2011, 2030–33, 34–37 एंव पासबुक, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण–पत्र जसोद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा गवाह जुगल किशोर की जिरह वकील वादीगण से कराई गयी। प्रतिवादी सख्या 1 ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2010, 2011 एंव 2012–15 पेश की।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालन मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
बीकानेर

4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित भूमि भगवाना की खातेदारी भूमि है। खातेदार की खातेदारी को किसी आदेश के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके संबंध में कानूनी दृष्टांत RRB 1995 Page 780, RRD 2006 page 135 and RRD 2010(2) page 926 पेश की। अपनी बहस को जारी रखते हुए विद्वान अभिभाषक वादीगण ने कथन किया कि राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 41 के तहत खातेदार के खातेदारी अधिकारों को परिभाषित करते हुए वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

5– विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है, जो है कि वादीगण विवादित भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अपनी बहस में कथन किया कि किसी काश्ताकर को खातेदारी दिये जाने के तीन प्रावधान है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व धारा 19 तथा जरिये आवेटन। प्रस्तुत वाद धारा 15 के अंतर्गत पोषणीय नहीं हैं क्योंकि स्टेट खातेदार नहीं हैं, चूंकि विवादित भूमि मंदिर की खातेदारी भूमि है एवं मंदिर अवयस्क होता है, अतः दावा धारा 19 के तहत भी संधारणीय नहीं हैं। वादगण संवत् 2016 से काबिज होना बता रहे है, अतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2010 व जमाबंदी संवत् 2011 के अनुसार भी विवादित भूमि पर मंदिर की खातेदारी रही है। धारा 46 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत भी वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं क्योंकि मंदिर अवयस्क खातेदार है। जिसके संबंध में कानूनी दृष्टांत RRD 2001 474 एंव RRW 2012 (2) 1265 एवं RBJ 1998, 337 प्रस्तुत किया। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण साबित नहीं कर पाये है। अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि तनकी संख्या 2, जो कि वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण के खिलाफ बेदखली की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी का सिद्धी भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। भगवाना वल्द बक्शा का नाम जमाबंदी संवत् 2026 में अंकन है। परताराम का नाम जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 कर जमाबंदी में अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत आवंटन से संबंधित है। उक्त प्रकरण आवंटन का विवाद नहीं हैं। वादीगण द्वारा इन्ताकल की अपील न करके घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय नहीं हैं। खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

6– वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए कहा कि यह भूमि जसोदा के नाम थी, वादीगण जसोदा के वारिस है, बतौर वारिस वादीगण ने दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद खातेदारी का नहीं हैं। उक्त वादगत भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है, जिसे उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी दी गयी। प्रस्तुत की गयी दृष्टांत के अनुसार किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। वादीगण का वाद धारा 15 व 19 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम से संबंधित नहीं हैं। वादीगण का वाद अपने खातदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् है। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश की नकल प्राप्त नहीं होने के कारण इन्तकाल की अपील नहीं की जा सकी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 183 एवं 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन चाहा गया अनुबंध पोषणीय नहीं हैं।

7– बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उक्त वर्णित भूमि संवत् 2016–19 की जमाबंदी में परता वल्द बक्शा अंकित है, परन्तु 2030–33 की जमाबंदी भगवाना वल्द बक्शा एवं 2034–37 की जमाबंदी में भी भगवाना के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने अपने वाद में कहीं भी यह साबित नहीं कर पाये हैं कि वादीगण भगवाना के वारिस किस प्रकार से है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत पासबुक की फोटो प्रति जिसमें वादीगण की माता का जसोदा पत्नी परता का नाम अंकित है, परन्तु यह राजस्व रिकार्ड नहीं हैं। अतः यह साबित नहीं होता कि वादीगण भगवाना के किस प्रकार से वारिस है। उनका उक्त खेत पर किस प्रकार से अधिकार उत्पन्न होता है।

8– हम प्रतिवादीगण के इस कथन से सहमत है कि वादीगण ने इन्तकाल संख्या 162 की अपील की कार्यवाही पिछले 40 वर्षों में नहीं की गयी। इसलिए घोषणात्मक वाद के जरिये इन्तकाल को समाप्त कर खातेदारी इस वाद में नहीं दी जा सकती। तनकी संख्या 1 में वादीगण स्वयं को वारिस साबित नहीं कर पाये है। अतः घोषणा के किसी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं। तनकी संख्या 1 बहक प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादीगण तय की जाती है। तनकी संख्या 2 का सिद्धि भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था, तनकी सख्या 1 बहक प्रतिवादी संख्या 1 तय होने से प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार साबित करने में सफल होने से वादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते है। अतः तनकी संख्या 2 बहक प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

तनकी संख्या 3 का सिद्धि भार वादीगण पर है, चूंकि वादीगण स्वयं को विवादित भूमि का खातेदार साबित करने में असफल हुए है, अतः उक्त तनकी को साबित करने में असफल हुए है। अतः तनकी संख्या 3 भी बहक प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

9— परिणामस्वरूप वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री चिरनिषेधाज्ञा बहक प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करें जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 8-11-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.01.14 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: